न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 10/2019

1. जुगराज सिंह पुत्र बुग्गा सिंह उर्फ बग्गा सिह जाति मजहबी निवासी 13 एच ठड्डा तहसील श्री करणपुर।
2. मुख्तयार सिंह पुत्र बुग्गा सिंह उर्फ बग्गा सिह जाति मजहबी निवासी 13 एच ठड्डा तहसील श्री करणपुर।
3. राज सिंह पुत्र बुग्गा सिंह उर्फ बग्गा सिह जाति मजहबी निवासी 13 एच ठड्डा तहसील श्री करणपुर।
4. आत्मा सिंह पुत्र बुग्गा सिंह उर्फ बग्गा सिह जाति मजहबी निवासी 13 एच ठड्डा तहसील श्री करणपुर।

--प्रार्थी--

बनाम

1. कीमत राम पुत्र साहब चंद जाति अरोडा निवासी 13 एच ठड्डा तहसील श्री करणपुर हाल आबाद वार्ड नम्बर 9 केसरीसिंहपुर

2. हरभजन कौर पत्नि नानक चंद जाति अरोडा निवासी 13 एच ठड्डा तहसील श्री करणपुर हाल आबाद वार्ड नम्बर 9 केसरीसिंहपुर

3. द्वारका नाथ पुत्र तेला राम जाति अरोडा निवासी 13 एच ठड्डा तहसील श्री करणपुर हाल आबाद वार्ड नम्बर 9 केसरीसिंहपुर

4. प्रभू लाल पुत्र तेला राम जाति अरोडा निवासी 13 एच ठड्डा तहसील श्री करणपुर हाल आबाद वार्ड नम्बर 9 केसरीसिंहपुर

5. दलजीत कुमार पुत्र तेला राम जाति अरोडा निवासी 13 एच ठड्डा तहसील श्री करणपुर हाल आबाद वार्ड नम्बर 9 केसरीसिंहपुर

6. हरबन्स लाल पुत्र तेला राम जाति अरोडा निवासी 13 एच ठड्डा तहसील श्री करणपुर हाल आबाद वार्ड नम्बर 9 केसरीसिंहपुर

7. रीटा रानी पत्नि प्रभूलाल जाति अरोडा निवासी 13 एच ठड्डा तहसील श्री करणपुर हाल आबाद वार्ड नम्बर 9 केसरीसिंहपुर

8. मिठू सिंह पुत्र भूरा सिंह जाति नाई निवासी मलकानाखुर्द तहसील श्री करणपुर

9. जगरूप सिंह पुत्र भूरा सिंह जाति नाई निवासी मलकानाखुर्द तहसील श्री करणपुर

--अप्रार्थीगण --

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 24.02.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी जरिए अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 43/47 के मु.न. 74 की 1.555 हैक्टर नहरी भूमि प्रार्थी संख्या 1 जुगराज सिंह के नाम व इसी चक के खाता संख्या 87/88 के मु.न. 74 की 1.556 हैक्टर नहरी भूमि प्रार्थी संख्या 2 मुख्तयार सिंह के नाम व इसी चक के खाता संख्या 95/94 के मु.न. 74 की 1.555 हैक्टर नहरी भूमि प्रार्थी संख्या 3 राज सिंह के नाम व इसी चक के खाता संख्या 3/9 के मु.न. 74 की 1.529 हैक्टर नहरी भूमि

प्रार्थी संख्या 4 आत्मा सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चक 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 52 के मु.न. 82 के किला न. 1 ता 15 की कुल 3.795 हैक्टर नहरी भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। व इसी चक के खाता संख्या 85 के मु.न. 82 के किला न. 16 ता 24 की कुल 1.593 हैक्टर नहरी भूमि अप्रार्थीगण संख्या 8 व 9 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि मु.न. 74 में आने जाने के लिए कोई मंजूरशुदा रास्ता नहीं है। लेकिन प्रार्थीगण अपने मुरब्बा नम्बर 74 में आने जाने के लिए एस नहर के उतरी दिशा में बने रास्ता में से होते हुए मुरब्बा नम्बर 82 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 में से होकर अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 74 के किला न. 21 में प्रवेश करते है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए कई वर्षो से उपरोक्त वर्णित रास्ता का उपयोग व उपभोग कर रहे है। अब पिछले कुछ दिनों से अप्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 82 के किला न. 1,10,11,20,21 में चल रहे रास्ता को बंद कर दिया है। और रास्ते वाली जगह पर जुताई कर दी है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को स्पष्ट मना कर दिया है कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के मु.न. 82 में से होकर अपने मुरब्बा न. 74 में नही जाऐगें और अगर जबरदस्ती जायेगें तो अप्रार्थीगण प्रार्थीगण पर हमला व बल का प्रयोग करेगे और प्रार्थीगण के विरूद्व कानूनी कार्यवाही कर उन्हें फसा देगे। प्रार्थीगण के पास अपने मुरब्बा न. 74 में जाने के लिए उपरोक्त वर्णित रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा मुरब्बा नम्बर 82 में चल रहे रास्ता को खत्म कर दिए जाने के कारण अब प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि मु.न. 74 में कृषि यन्त्रों सहित आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जिसके कारण प्रार्थीगण को आर्थिक व मानसिक नुकसान हो रहा है। इसलिए प्रार्थीगण अपने मुरब्बा नम्बर 74 में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण के मुरब्बा नम्बर 82 के किला न. 1,10,11,20,21 में से 2-2 बिस्वा रास्ता मंजूर करवाना चाहता है। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 74 में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के मुरब्बा नम्बर 82 के किला न. 1,10,11,20,21 में 2-2 बिस्वा मंजूर किया जाकर उक्त रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में बतौर रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह उपस्थित आए। व अप्रार्थी संख्या 8 व 9 तामील बावजूद उपस्थित नही आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके अनुसार चक 1 एस के खाता संख्या 52 व 85 के मु.न. 82 की कुल 5.388 हैक्टर भूमि मुश्तर्का खाता की भूमि है। उक्त भूमि में सभी खातेदार सहखातेदार है, उक्त रकबा का वाहमी बंटवारा नहीं हुआ है। प्रार्थीगण ने दर्ज नहीं किया कि किस खातेदार के नाम कितनी भूमि मुश्तर्का खाता में दर्ज है। इसके अलावा विधि का यह सुस्थापित नियम है कि किसी भी मुश्तर्का का जब तक विधिक विभाजन नही हो जाता तब तक किसी भी खातेदार के पास कोई किला विशेष होना नही कहा जा सकता जब तक खाता विभाजन नही हो जाता तब तक यह भी नहीं कहा जा सकता है कि रास्ता वाली भूमि किसकी है तथा किस खातेदार की भूमि रास्ता के एवज में काटी जाएगी तथा किस खातेदार को रास्ता की भूमि के बदले भूमि की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। यह कथन

कतई गलत है कि प्रार्थीगण अपने मु.न. 74 में आने जाने के लिए एस नहर की उतरी दिशा में बने रास्ता से होते हुए मु.न. 82 के किला न. 1,10,11,20,21 में से होकर प्रवेश करते हो व अपने मु.न. 74 में प्रवेश करने के लिए कोई मंजूर शुदा रास्ता न हो। सही कथन यह है कि अप्रार्थीगण के मु.न. 82 के किला न. 1,10,11,20,21 में किसी प्रकार का कोई रास्ता मौके पर मौजुद नहीं है। व तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया गया है कि प्रार्थीगण के मु.न. 82 के किला न. 1,10,11,20,21 में गवार काश्त है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के मु.न. 82 के किला न. 1,10,11,20,21 में किसी प्रकार का कोई चालू रास्ता नही है। इसके अलावा यदि मु.न. 82 के किला न. 1,10,11,20,21 में रास्ता मंजूर किया जाता है तो उपरोक्त रास्ता नहर की पटडी से लगेगा, जैसा तहसीलदार की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है इसके अलावा कानूनन नहर की पटडी को रास्ता के रूप में उपयोग में नही लिया जा सकता है। इसलिए मु.न. 82 के किला न. 1,10,11,20,21 में से किसी भी रूप में रास्ता मंजूर नही किया जा सकता। तहसीलदार के द्वारा अपनी रिपोर्ट में मु.न. 73 के किला न. 20,21,23,24,25 में दक्षिणी दिशा के साथ-साथ चिपता हुआ रास्ता स्वीकृत करने हेतु विकल्प दिया है तथा रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया है कि यदि मु.न. 73 के किला न. 21 ता 25 में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है, तो यह मु.न. 72 में चल रहे स्वीकृत रास्ता से मिलान करेगा, इसलिए तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार भी प्रार्थीगण के पास विकल्प में मु.न. 73 के किला न. 21 ता 25 में सहज व सरल तथा निकटतम रास्ता विकल्प है तहसीलदार की रिपोर्ट के मुताबिक यदि मु.न. 73 के किला न. 21 ता 25 में यदि रास्ता मंजूर किया जाता है तो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनो पक्षों को कोई एतराज नहीं है। तथा मु.न. 73 के किला न. 21 ता 25 में रास्ता स्वीकृत किए जाने से उपरोक्त रास्ता मु.न. 72 में चल रहे स्वीकृत रास्ता से मिल जाएगा। अतिरिक्त कथन के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2016[2]c.j. civil Raj. H.C. Page 765 में प्रतिपादित किया है कि यदि रास्ता का विकल्प उपलब्ध हो तो नया रास्ता नही खोला जा सकता, इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक अन्य नजीर में भी प्रतिपादित किया गया है कि रास्ता सुविधाजनक उपयोग के लिए नही दिया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त नजीरों की रोशनी में भी प्रार्थीगण किसी प्रकार का कोई रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि प्रार्थीगण के पास सहज व सरल तथा निकटतम रास्ता का विकल्प है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता यदि स्वीकृत किया जाता है, तो वह रास्ता एस नहर की पटडी के साथ जाकर, लगेगा, जबकि धारा 251 ए आरटीए अथवा अन्य किसी विधि में नहर के पटडे के साथ जुडता रास्ता दिए जाने के कोई प्रावधान नहीं है, चुकि नहर की दोनो साईड पटडो की जगह नहर की भूमि के लिए आरक्षित होती है, जो नहर के रख रखाव व व्यवस्था के लिए छोडी जाती है, जिसके साथ किसी भी तरह से रास्ता स्वीकृत कर जोडा जाना विधि सम्मत नहीं है। अत जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। तहसीलदार श्री करणपुर के पत्रांक राजस्व/ 2019/ 759 दिनांक 23.07.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार प्रार्थीगण के अप्रार्थीगण खातेदार की जोत में से होकर पहुचने के अन्य वैकल्पिक के रूप में मु.न. 73 के किला न. 21ता 25 में दक्षिणी वट के साथ-साथ चिपत हुए रास्ता स्वीकृति हेतु विचार किया जा सकता है। क्योंकि मु.न. 82 के किला न. 1,10,11,20,21 में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो यह नहर की पटडी पर खुलेगा तथा मु.न. 73 में किला न. 21 ता 25 में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो यह मु.न. 72 में चल रहे स्वीकृत शुदा रास्ता पर मिलान कटेगा। नहर की पटडी जो इस ओर है उसे रास्ता के रूप में उपयोग किया जा रहा है। मु.न. 73 में रास्ता 825 फुट लम्बाई में

स्वीकृत किया जाना होगा तथा मु.न. 82 में यह दुरी 50-60 फुट कम होगी वाद में मु. न. 73 के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है।

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा मुरब्बा नम्बर 74 में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के मुरब्बा नम्बर 82 के किला न. 1,10,11,20,21 में 2-2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किए जाने बाबत निवेदन किया है। अप्रार्थीगण के द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया है कि मौका पर मु.न. 82 के किला न. 1,10,11,20,21 में कोई रास्ता नहीं चल रहा। व खाता संख्या 52 व 85 के मु.न. 82 की भूमि मुश्तर्का खाता की भूमि है। जब तक खाता विभाजन नही हो जाता तब तक यह भी नहीं कहा जा सकता कि रास्ता वाली भूमि किसकी हैं। तथा किस खातेदार की भूमि रास्ता की एवज में काटी जाऐगी। तथा नहर की पटडी के साथ जुडता रास्ता दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रार्थीगण के पास विकल्प में मु.न. 73 के किला न. 21 ता 25 में सहज व सरल तथा निकटतम रास्ता के विकल्प है। अतः रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार यदि मु. न. 82 के किला न. 1,10,11,20,21 में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो वैकल्पिक रास्ते की अपेक्षा दुरी 50-60 फुट कम होगी। चूकि प्रार्थीगण के द्वारा जिस स्थान से रास्ता चाहा गया है। वह रास्ता नहर की पटडी से जुडेगा जो कि दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। तहसीलदार श्री करणपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को वैकल्पिक रास्ता मु.न. 73 के किला न. 21 ता 25 में से दिया जा सकता है, जो कि सहज एंव सुलभ है, जिन्हे प्रार्थी के द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन एवं तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने पर खारिज किया जाता है। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मु.न. 73 के किला न. 21 ता 25 में से वैकल्पिक रास्ता दिया जा सकता जिन्हे प्रार्थीगण पक्षकार बनाकर अपना नया प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.02.24 15:29:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: